संख्या:57/2016/669जेएल/22-3-16-100(17)/2015टीसी

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2016***

विषय: प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र एवं की गयी प्रबल संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारापरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित करने के पूर्व विचाराधीन बंदियों के सम्बन्ध में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सभी मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति सम्बन्धित कारागार अधीक्षकों द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी:-**

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	उमेश उर्फ गोरा पुत्र मुक्तेश्वर राय	जि0का0 गाजीपुर।	जि0का0 बांदा।
2	अंगद राय पुत्र झुल्लन राय	जि0का0 गाजीपुर।	जि0का0 कानपुर नगर।
3	मोहन प्रकाश पुत्र जगपाल	जि0का0 मुजफ्फरनगर।	जि0का0 इटावा।
4	रोहित उर्फ सान्डू पुत्र नैपाल सिंह	जि0का0 मुजफ्फरनगर।	जि0का0 फैजाबाद।
5	रईश पहलवान पुत्र शरीफ	जि0का0 मुजफ्फरनगर।	जि0का0 कन्नौज।
6	अंगद यादव पुत्र रामबदन	जि0का0 आजमगढ़।	जि0का0 सीतापुर।
7	सिंहराज पुत्र हंसराज	जि0का0 बांदा।	जि0का0 फैजाबाद।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- उपरोक्त तालिका के क्रमांक-07 पर अंकित बंदी सिंहराज पुत्र हंसराज का स्थानान्तरण पूर्व से शासनादेश संख्या-69/2015/838जेएल/22-3-15-100)17)/2015, 24-03-2015 द्वारा जिला कारागार, उरई किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 24-03-2015 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:57/2016/669जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर/मुजफ्फरनगर/आजमगढ़/बांदा/कानपुर नगर/फैजाबाद/सीतापुर/कन्नौज/इटावा।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक, गाजीपुर/मुजफ्फरनगर/आजमगढ़/बांदा/कानपुर नगर/फैजाबाद/सीतापुर/कन्नौज /इटावा।

3- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर/मुजफ्फरनगर/आजमगढ़/बांदा/कानपुर नगर/इटावा/फैजाबाद/ कन्नौज/सीतापुर।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।